प्रा(4)

79
175

बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

संकल्प

संख्या–अं0स0क0 –08–15/2010 (खंड) 390 /   पटना, दिनांक 19.12.17

विषयः– राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) से बढ़ाकर रू0 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति के संबंध में ।

1. राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता /तलाक शुदा महिलाओं को आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006–07 से संचालित है । इस योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त रू0 10,000/–(दस हजार रूपये) मात्र की सहायता राशि प्रदान की जाती है । प्रावधानित उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2006–07 से अपरिवर्तित रही है । समय के साथ मंहगाई बढ़ जाने के कारण प्रावधानित राशि में बदलाव की आवश्यकता है ताकि योजना के उद्देश्य की पूर्ति समुचित रूप से हो सके ।

2. अतः राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु संचालित योजना के तहत प्रति परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को दी जाने वाली राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 से रू0 10,000/– (दस हजार रूपये) से बढ़ाकर रू0 25,000/– (पच्चीस हजार रूपये) मात्र करने एवं संबंधित मार्गनिर्देशिका की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त प्रस्ताव तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक

ज्ञापांक– अ0सं0क0 –08–15/2010 खंड– 1 390 /   पटना, दिनांक 19.12.17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार ले0 एवं प0/ लेखा एवं हक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक

(कृ0प0उ0.......)

ज्ञापांक– अ0सं0क0 –08–15/2010 खंड– 1...390../ पटना, दिनांक 19.12.17

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक

ज्ञापांक– अ0सं0क0 –08–15/2010 खंड– 1...390../ पटना, दिनांक 19.12.17

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक

ज्ञापांक– अ0सं0क0 –08–15/2010 खंड– 1...390../ पटना, दिनांक 19.12.17

प्रतिलिपिः– मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक

ज्ञापांक– अ0सं0क0 –08–15/2010 खंड– 1...390../ पटना, दिनांक 19.12.17

प्रतिलिपिः– ई– गजट शाखा (सी0डी0 सहित), वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 100 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

सरकार के विशेष सचिव–सह– निदेशक